नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94 / 789— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथाविनिदिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शें में दर्शाए गए गांव शिकोहपुर, तहसील और जिला गुड़गांव की राजस्व सम्पदा के गांव रामपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

अनुसूची

गांव शिकोहपुर, तहसील और जिला गुड़गांव की राजस्व के गांव रामपुर राजकीय प्राईमरी विद्यालय के इर्द–गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा—अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (जी) 426/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तरः बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात गांव शिकोहपुर की राजस्व सम्पदा के गांव रामपुर की खसरा संख्या 1 का उत्तरी—पश्चिमी कोना जो 16 जून, 1981 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 10 डी0 पी0—81/8039, दिनांक 21 मई, 1981 द्वारा घोषित नियन्त्रित क्षेत्र गुड़गांव की सीमा के साथ मिलती है। उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर खसरा संख्या 708 के दक्षिणी—पश्चिमी कोने तक, उसके बाद उत्तर की ओर बिन्दु 'ख' तक, जहां तक 19 फरवरी, 1980 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 1002—10 डी0 पी0—79/15003 दिनांक 15 नवम्बर, 1979 द्वारा घोषित गुड़गांव अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र भाग—II की सीमा से मिलती है, उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर बिन्दु ''ग' तक जहां यह गांव शिकोहपुर की राजस्व सम्पा के गांव रामपुर की खसरा 772 के उत्तर—पूर्वी कोने से मिलती है।

उसके बाद खसरा संख्या 772,773 तथा 774 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर खसरा संख्या 774 के पूर्वीः दक्षिण-पूर्वी कोने तक, उसके बाद खसरा संख्या 774 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर संख्या 919 के उत्तर पूर्वी कोने तक, उसके बाद खसरा संख्या 919, 920 और 921 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर खसरा संख्या 921 के दक्षिण-पूर्वी कोने तक, उसके बाद खसरा संख्या 921, 922, 923 तथा 924 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिमी की ओर उस बिन्दू तक जहां यह खसरा संख्या 993 के उत्तर-पूर्वी कोने से मिलती है। उसके बाद खसरा संख्या 993 की पूर्वी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर , जहां यह खसरा संख्या 991, की पूर्वी सीमा से मिलती है, उसके बाद खसरा संख्या 991 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर उस बिन्द् जहां यह खसरा संख्या 990 की उत्तरी सीमा से मिलती है, उसके बाद खसरा संख्या 990 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर , उसके बाद खसरा संख्या 990,952 और 953 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर, उसके बाद खसरा संख्या 953 की दक्ष की सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर उस बिन्दु तक जहां यह खसरा संख्या 955 की उत्तरी-पूर्वी सीमा से मिलती है, उसके बाद खसरा संख्या 955 तथा 957 की पूर्वी सीमा के साथ–2 पूर्व की ओर खसरा संख्या 971 के दक्षिण पश्चिमी कोने तक, उसके ड्राईंग में दर्शाए गए अनुसार समकोण पर उक्त राजस्व रास्ता से गुजरते हुए, उसके बाद खसरा संख्या 959 तथा 963 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर उस बिन्दु तक, जहां यह राजस्व रास्ता से मिलती है, उसके बाद ड्राईग में दर्शाए गये अनुसार उक्त राजस्व रास्ता से गुजरते हुए उसके बाद खसरा संख्या 1463 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर उस बिन्दु तक जहां यह खसरा संख्या 1444 की उत्तरी सीमा से मिलती है, उसके बाद खसरा संख्या 1444, 1440 तथा 1439 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर, उसके बाद खसरा संख्या 1439 और 1451 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर, उसके बाद खसरा संख्या 1451 की दक्षिण सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर खँसरा संख्या 1455 के उत्तर-पश्चिम कोने तक, उसके बाद खसरा संख्या 1450 तथा 1457 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर खसरा संख्या 1458 के उत्तर-पूर्वी कोने तक, उसके बाद खसरा संख्या 1456 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर, उसके बाद खसरा संख्या 1456 और 1543 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर, उसके बाद खसरा संख्या 1544 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 दक्षिण पूर्व की ओर, उसके बाद खसरा संख्या 1535 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर उसके बाद खसरा संख्या 1514 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 दक्षिण की ओर बिन्दु "ध" तक जहां यह 28 जनवरी, 1991 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या जे0डी0—91/725, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा गांव नौरंगपुर में राजकीय प्राईमरी विद्यालय के इर्द-गिर्द पहले से ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है।

दक्षिणः उसके बाद खसरा संख्या 1512 तथा 1511 की पूर्वी सीमा के साथ—2 दक्षिण की ओर उसके बाद गांव शिकोहपुर की राजस्व सम्पदा के गांव रामपुर की दक्षिणी सीमा के साथ—2 पश्चिम की ओर बिन्दु "ड." तक जहां यह गांव रामपुर, नौरंगापुर और गांव लखनौला के त्रिजंक्शन से मिलती है।

पश्चिमः उसके बाद, गांव शिकोहपुर की राजस्व सम्पदा के गांव रामपुर की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तर की ओर बिन्दु 'क' तक अर्थात् आरम्भिक बिन्दु।

प्रदीप कुमार, आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN & COUNTRY PLANG DEPARTMENT Notification

The 25th January 1994

No. PC-94/789- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Un-regulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby declares the Area around Govt. Primary School at village Rampur of revenue estate of Village-Shikohpur tehsil and District-Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Rampur of revenue estate of village-Shikohpur, Tehsil and District Gurgaon to be read with the Drg No DTP(G) 426/93, dated 25th May 1993.

North: Starting from point "A" i.e. north-west corner of Khasra No. 1 of village Rampur of revenue estate of village Shikohpur meeting with the boundary of Gurgaon controlled area declared, -vide Haryana Govt. Gazette Notification No. 10DP-81/8039, dated 21st May, 1981 published on 16th June, 1981, thence towards east along the boundary of said controlled area upto South-West corner of Khasra No. 708, thence towards north upto point 'B' where it meets with the boundary of Gurgaon additional controlled area Part-II declared,-vide Haryana Govt. Gazette Notification No. 1002-10DP-79/15003, dated 15th November, 1979 published on 19th February , 1980, thence towards east along the boundary of said controlled area upto point 'C' where it meets with the north-eastern corner of Khasra No. 772 of village Rampur of revenue estate of village Shikohpur.

East: Thence, towards south along the eastern boundary of Khasra Nos. 772, 773 and 774 upto south -east corner of Khasra No. 774, thence towards west along the southern boundary of Khasra No. 774 upto north east corner of Khasra No. 919, thence towards south along the eastern boundary of Khasra No. 919,920 and 921 upto south-east corner of Khasra No. 921, thence towards west along the souther boundary of Khasra No. 921,922,923 and 924 upto the point where it meets with the north-eastern corner of Khasra No. 993, thence towards south along the eastern boundary of Khasra No. 993 upto north-east corner of Khasra No. 994, thence towards west along the Southern boundary of Khasra No. 993, where it meets with eastern boundary of Khasra No. 991, thence towards south along the eastern boundary of Khasra No. 991 upto point where it meets with the norther boundary of Khasra No. 990, thence towards east along the northern boundary of Khasra No. 990, thence towards south along the eastern boundary of Khasra N. 990, 952 and 953, thence towards west along the southern boundary of Khasara No. 953 upto the point where it meets with the north eastern boundary of Khasra No. 955, thence towards south along the eastern boundary of Khasra No. 955 and 957 upto the northern boundary of revenue rasta, thence towards east along the northern boundary of revenue rasta upto the south-west corner of Khasra No. 971, thence crossing the said revenue rasta at right angle as shown in in the drg. Thence towards south along the eastern boundary of Khasra No. 959 and 963 upto the point where it meets with the revenue rasta, thence crossing the said revenue rasta as shown in the drg., thence the northern boundary of Khasra No. 1444, 1440 and 1439, thence towards south along the eastern boundary of Khasra No. 1439 and 1451, thence towards west along the southern boundary of Khasra No. 1451 upto the north west corner of Khasra No. 1455, thence towards south along the eastern boundary of Khasra No. 1450 and 1457, thence, towards south east along the southern boundary of Khasra No. 1544, thence towards south along the eastern boundary of Khasra No. 1535 upto the north-west corner of Khasra No. 1515, thence towards south along the eastern boundary of Khasra No. 1514, upto the point 'D' where it meets with the boundary of controlled area already declared around Govt. Primary School at village Naurangpur,vide Haryana Govt. Gazette Notifiactaion No. JD-91/725, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991.

South: Thence towards south along the southern boundary of Khasra No. 1512, 1511, thence towards west along the southern boundary of village Rampur of revenue estate of village Shikohpur upto the point 'E', where it meets the trijunction of village Rampur, Naurangpur and village Lakhanaula.

West: Thence, towards north along the western boundary of village Rampur of revenue estate of village Shikohpur upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR